शीर्ष प्राथमिकता/फैक्स

संख्या– 222 /11–6–18–एम(06)/2011

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 28 मार्च, 2018

विषयः–प्रदेश में स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों / जनसुविधा केन्द्रों/ ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक परियोजना के द्वारा मनोरंजन कर विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवाओं को आम जनमानस तकउपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि जनसामान्य को किफायती पारदर्शी एवं सहज– सुलभ रीति से सेवायें उपलब्ध कराना उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। वर्तमान में मनोरंजन कर विभाग की जनहित गारण्टी से संबंधित सेवायें प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

2. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त मनोरंजन कर विभाग की निम्न सेवाओं को ई– डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1.एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/ विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी हेतु नवीन लाइसेंस।
2. एकल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, सचल सिनेमा/ विशेष चलचित्र प्रदर्शन, वीडियो सिनेमा, सचल वीडियो सिनेमा, स्थानीय चैनल और वीडियो लाइब्रेरी के लाइसेंस का नवीनीकरण।
3.चलचित्र/डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम के लिए आपरेटर परमिट
4. विभिन्न मनोरंजन के लिये अनुमति (लाइसेंस्ड मनोरंजन, केबिल और डीटीएच को छोड़कर यथा मनोरंजन पार्क/ वॉटर पार्क, कैबरे या फ्लोर शो, झूला, वीडियो गेम्स, कौशल के खेल, मिमिकरी, कार्निवाल, पपेट शो, अशास्त्रीय संगीत, घुड़दौड़, पूल गेम, बॉलिंग येले, बिलियर्ड्स, स्नूकर उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य मनोरंजन)
नोट :– उपर्युक्त सभी सेवाओं हेतु, समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है।

3. मनोरंजन कर विभाग की चयनित सेवाओं को ई– डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेट करने के उपरान्त जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों ई–सुविधा केन्द्रों पर आम नागरिकों से प्रत्येक शासकीय सेवा के प्रत्येक ट्रान्जेक्शन के लिये यूजर चार्ज आई.टी. विभाग के शासनादेशानुसार लिये जायेगें।

d:entertainment tax:diwakar

4. अगर कोई नागरिक सीधे विभागीय पोर्टल पर सेवा हेतु आवेदन करता है तो उस पर उपरोक्त यूजर चार्जेज लागू नहीं होगें।

5. मनोरंजन कर विभाग की चयनित सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेट करने हेतु विभागीय नोडल अधिकारी द्वारा एन.आई.सी0./एस.ई.एम.टी. की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित किया जायेगा। ई- डिस्ट्रिक पोर्टल से इन्टीग्रेशन के पश्चात सभी सम्बन्धित स्टेक होल्डर द्वारा पायलेट आधार पर टेस्ट रन की कार्यवाही की जायेगी ताकि गो-लाईव के उपरान्त सेवाओं को प्रदान करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाना होगा कि समस्त डिलीवरी प्वाइन्ट्स यथा-जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों तथा ई-सुविधा केन्द्रों द्वारा इलेक्ट्रानिक डिलीवरी सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाहियां यथा-इन्टीग्रेशन इत्यादि पूर्ण कर ली गयी हैं।

7. आवेदक द्वारा विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र,लोकवाणी केन्द्र, जन सुविधा केन्द्र तथा ई-सुविधा केन्द्र में जाकर केन्द्र आपरेटर से अनुरोध करना होगा। तदोपरान्त केन्द्र आपरेटर ई- डिस्ट्रिक पोर्टल पर लॉगिन करके सेवा प्रदान करेगा। आवेदक द्वारा प्राप्त की गयी सम्बन्धित सेवा के लिये प्रस्तर-3 में निर्धारित यूजर चार्ज का भुगतान केन्द्र आपरेटर को किया जायेगा।

8 ई- डिस्ट्रिक पोर्टल से आये ई-रजिस्ट्रेशन/ई-रिटर्न को विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह प्रोसेस किया जायेगा जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर प्रोसेस कर रहे हैं।

9. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां शीर्ष-प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

संख्या - (1)/11-6-2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव,मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग,उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश।
5. एस0आई0ओ0,योजना भवन लखनऊ।
6. हेड एस0ई0एम0टी0,उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मो0 मारूफ)
विशेष सचिव

संख्याः 4804 /तद्दिनांकित। 28·3·18

प्रतिलिपिः-

1- समस्त विभागीय अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अखिलेश मणि त्रिपाठी)
उपायुक्त,
कृत आयुक्त।